6. Online guest lecture on" Legal Rights of Women" 3rd March 2021

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला-वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ठ अतिथि अतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो ख्वाब बांट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपकों आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है।

कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त : शुचि शर्मा

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं।

हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही। अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही है।

DAILY NEWS F1RST TODAY
दैनिक न्यूज फर्स्ट टुडे
गुरुवार, 04 मार्च, 2021, मेरठ
वर्ष-5, अंक-202, पेज 4, मूल्य-₹ 1
www.lnewsfirsttoday.com email:nftoday2016@gmail.com

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त : शुचि शर्मा

- संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार
- सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

मेरठ (प्र)। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला-वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ठ अतिथि अतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो ख्वाब बाँट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है।

आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो0 वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपकों आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो0 बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त

मेरठ: अधिकारों की जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही। इस दौरान उन्होंने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं, जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है। इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। अतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम,डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो ख्वाब बांट-बांटकर,रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा,दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना हैए संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो.वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है और महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ-साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

बराबर हैं अधिकार, शोषण न सहें

मिशन शक्ति के तहत कैंपस-कॉलेजों में हुए कई कार्यक्रम, महिलाओं को बताए अधिकार

माई सिटी रिपोर्टर

मेरठ। मिशन शक्ति के तहत बुधवार को सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया।

सीसीएसयू कैंपस में आयोजित वेबिनार में विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कहा कि संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं।

संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित महिलाएं अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं, जिसमें वे रह रही हैं। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है।

मेरठ कॉलेज में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करतीं अतिथि और मौजूद छात्राएं। संवाद

विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध गीतकार मनोज कुमार मनोज ने भारतीय नारी विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है।

आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा रहीं।

आरजी में छात्राओं को दिया परामर्श

आरजी कॉलेज में डॉ. फल्क्वी रस्तोगी ने एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर के अनेक भागों के दर्द को कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। रेंजर अमिता ने छात्राओं को आत्मसुरक्षा करने के तरीके बताए। रेंजर लीडर डॉ. सुमन तथा बेसिक रेंजर लीडर डॉ. सुनीता सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। आयोजन में कंचन त्यागी, सिमरन, चनप्रीत आदि रेंजर्स ने सहभागिता की। प्राचार्या डॉ. दीप शिखा शर्मा ने उत्साह बढ़ाया।

छात्र-छात्राएं भी तनाव में, मन में है डर

शहीद मंगल पांडे महाविद्यालय में डॉ. अनीता मोरल ने कहा कि कोरोना वायरस के डर से पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तथा बड़ी संख्या में मृत्यु भी हो रही हैं। ऐसे में छात्र-छात्राओं के मन में डर, चिंता, तनाव, असमंजस, घबराहट और बेचैनी जैसी कई भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. दिनेश चंद ने की। डॉ. लता कुमार, डॉ. अमर ज्योति मौजूद रहीं।

R.N.I. NO. UPHIN 2013/51210 (प्रात:कालीन) दैनिक Email: dainikaajkabuleteen@gmail.com
आज का बुलेटिन
मेरठ गुरूवार 4 मार्च, 2021 (पृष्ठ 6)

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त-शुचि शर्मा

संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार

(आज का बुलेटिन)
दिनेश गोयल बाबा

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अतर्राट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो ख्वाब बाँट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही है। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो० वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो० बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त : शुचि शर्मा

- संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार, सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

● इंडिया फेम

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अंतर्राट्रीय गीतकार मनोज कुमार ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है।

शिक्षा ही दिला सकती है अधिकार: विमला

- प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ-साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त : शुचि

संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार

मेरठ (धारा न्यूज)। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विवि द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला. वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अतर्राट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो ख्वाब बाँट.बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार.प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना हैए संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो, वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शि-ाकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ठ अतिथि अतर्राट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे।

दिन के उजेरे में वो ख्वाब बाँट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो0 वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपकों आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो0 बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विवि द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं

- संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार

जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैए इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं हैए अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिलाए वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ठ अतिथि अतर्राट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुमए डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे।

दिन के उजेरे में वो ख्वाब बाँटएबांटकरए रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथाए दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचारण्प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना हैए संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रोए वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपकों आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती हैए महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

(एम.एन.एस.)

मेरठ। अधिकारों की जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

- संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार
- सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियों अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए

सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ठ अतिथि अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियों को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में जो ख्वाब बाँट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार - प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो० वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम को समन्वयक प्रो० बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

अधिकारों की जानकारी महिलाओं को बनाती है सशक्त: शुचि शर्मा

- संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार
- सशक्त हो बदलनी होगी समाज की सोच

मेरठ समाचार प्रतिनिधि

कार्यक्रम में भाग लेते हुए विद्वान।

मेरठ। अधिकारों की जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियों अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ठ अतिथि अंतर्राष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार मनोज ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियों को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में जो ख्वाब बाँट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार - प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो० वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपको आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम को समन्वयक प्रो० बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसके महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ संविधान में मिले अपने अधिकारों के विषय में भी जानना होगा।

महिला सशक्तिकरण से ही सामाजिक सोच में बदलाव संभव : शुचि

मेरठ (एसएनबी)। मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरणसिंह विश्वाविद्यालय में बुधवार को आयोजित वेबिनार में विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कहा कि अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाती है। इसीलिए महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनकी जानकारी के अभाव में महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। महिला सशक्तिकरण से ही समाज की सोच में बदलाव संभव है।

उन्होंने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शादीशुदा महिला या युवतियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वह रह रही हैं। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है। गीतकार मनोज कुमार मनोज ने अपनी बात कुछ यूं बयां की-कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुम, डोलियों को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजाले में वो ख्वाब बांट-बांटकर, रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। विवि की प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही महिलाओं को उनके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रोफेसर बिन्दु शर्मा ने कहा कि समाज की सोच बदलने के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है।

वेबिनार सशक्त होकर बदलनी होगी समाज की सोच

अधिकारों की जानकारी बनाती है सशक्तः शुचि

ग्रीन इंडिया

मेरठ। अधिकारों को जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही।

विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है, अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला, वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ट अतिथि अतर्राट्रीय गीतकार मनोज कुमार ने एक शेर के साथ अपनी बात शुरू की।

उन्होंने कहा कौन सी दुल्हनिया की बात करते हो तुमए डोलियो को मिलके कहार लूटते रहे। दिन के उजेरे में वो ख्वाब बाँट-बांटकर रात गये रूप का बाजार लूटते रहे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपकों आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है। कार्यक्रम की समन्वयक प्रो. बिन्दु शर्मा ने सभी स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

संबोधन

- **संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार**

संविधान में महिलाओं को पुरूषों के बराबर है अधिकार:शुचि शर्मा

दिव्य विश्वास,संवाददाता

मेरठ । अधिकारों की जानकारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। इसीलिए अपने अधिकारों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है। संविधान में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जानकारी न होने के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। हम सशक्त बनकर ही समाज की सोच बदलने का काम कर सकते हैं। यह जानकारी मिशन शक्ति के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में मुख्य वक्ता विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने कही। विशेष लोक अभियोजन शुचि शर्मा ने संविधान में महिलाओं के मिले अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं ,जिसमें वे रह रही है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। विशिष्ठ अतिथि अतंरराष्ट्रीय गीतकार मनोज कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय नारी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय नारी को वैश्विक समानता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा भारतीय नारी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार भारतीय नारी की दशा और दिशा सुधारने में सहायक होगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। प्रति कुलपति प्रो. वाई विमला ने कहा कि शिक्षा ही आपकों आपके अधिकारों से पहचान दिला सकती है, महिलाओं को सशक्त बना सकती है।